न्यायालय : अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

अपील प्रकरण सं0 6/18

गुरूद्वारा प्रबन्धक कमेटी बनाम मुरारी लाल वगैरा

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0एक्ट में
तहसीलदार, राजस्व श्रीकरणपुर का आदेश दिनांक 27.11.1967 निरस्त करने बाबत

उपस्थिति :

1. श्री ओमप्रकाश बतरा, अधिवक्ता, अपीलार्थी
2. श्री कुलवन्तसिंह संधू, अधिवक्ता, रेस्पो0 सं0 1 के उतराधिकारीगण की ओर से
3. श्री जगमोहन आहूजा, अधिवक्ता, रेस्पो0 सं0 2

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आदेश दिनांक : 30/01/23

अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील के सारवान तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रत्येक चक में 25 बीघा रकबा राज्य सरकार द्वारा माफीदार नाई, तरखान, कोटवाल, मंदिर, मस्जिद के लिए आरक्षित की गयी थी जो इन लोगों द्वारा ग्राम की जनता एवं मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा की सेवा करते थे। इसी अनुसार चक 54 एफ तहसील श्रीकरणपुर मे मु. नं. 75 में किला नंबर 11, ता 16, 25 कुल 7.00 बीघा रकबा माफी नाई काश्त बहादुर तथा मु. नं. 75 का किला नंबर 6 ता. 10 कुल 5 बीघा रकबा माफी काश्त लालसिंह, चक 54 एफ का मु. नं. 75 का किला नंबर 1 ता. 5 कुल 4 बीघा 18 बिस्वा रकबा तरखान के लिए आरक्षित रखा गया था चुंकि गांव 54 एफ में मस्जिद नहीं था तथा मस्जिद का रकबा चक 54 एफ में मु. नं. 75 का किला नंबर 6 ता. 10 में 4 बीघा 18 बिस्वा रकबा श्री गुरूद्वारा चक 54 एफ को दिया गया है जिसकी कमेंटी का गठन किया हुआ है जिसकी देखमाल कमेटी द्वारा की जाती है तथा कमेटी का संविधान बना हुआ है। इससे पहले खेड़ाराम श्री गुरूद्वारा की देखमाल करता था तथा उसके मरने के बाद अब रेस्पोडेण्टस देखमाल कर रहे है। अब रेस्पोडेण्टस द्वारा इस जमीन की आमदनी श्री गुरूद्वारा पर खर्च न करके निजी उपभोग करने लगे तो कमेटी द्वारा इनको मना किया गया। कमेटी द्वारा जांच करने पर पता चला कि रेस्पोडेण्टस के पिता ने गल्त तथ्य प्रस्तुत करके चोरी छुपे उक्त माफी रकबा जो श्री गुरूद्वारा साहब का था उसको अपने नाम से राजस्व रिकॉर्ड में इतंकाल करवा लिया जबकि ऐसा कोई नियम नहीं है कि श्री गुरूद्वारा का माफी रकबा रेस्पोडेण्ट अपने नाम करवा लेवें चूंकि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी ऐसे कई निर्णय पारित किये गये है कि श्री गुरूद्वारा या मंदिर, मस्जिद का माफी रकबा तरखान, कोटवाल या सेवादार किसी के नाम नहीं किया जावेगा बल्कि उसका मालिक श्री गुरूद्वारा, मस्जिद, मन्दिर हीं है। अन्य को कोई खातेदार अधिकार व उसके नाम इतंकाल नहीं किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय के श्री गुरूद्वारा की जमीन के संबंध में किसी अन्य के नाम से इतंकाल करने का कोई अधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर इतंकाल किया है। अतः अपील स्वीकार की जकार अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 27.11.1967 इतंकाल संख्या 56 निरस्त फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टस को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अपील से संबधित मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि प्रत्येक चक में 25 बीघा रकबा राज्य सरकार द्वारा माफीदार नाई, तरखान, कोटवाल, मंदिर, मस्जिद के लिए आरक्षित की गयी थी जो इन लोगों द्वारा ग्राम

अति. जिला कलेक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

की जनता एवं मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा की सेवा करते थे। इसी अनुसार चक 54 एफ तहसील श्रीकरणपुर मे मु. नं. 75 में किला नंबर 11, ता 16, 25 कुल 7.00 बीघा रकबा माफी नाई काश्त बहादुर तथा मु. नं. 75 का किला नंबर 6 ता. 10 कुल 5 बीघा रकबा माफी काश्त लालसिंह, चक 54 एफ का मु. नं. 75 का किला नंबर 1 ता. 5 कुल 4 बीघा 18 बिस्वा रकबा तरखान के लिए आरक्षित रखा गया था चुंकि गांव 54 एफ में मस्जिद नहीं था तथा मस्जिद का रकबा चक 54 एफ में मु. नं. 75 का किला नंबर 6 ता. 10 में 4 बीघा 18 बिस्वा रकबा श्री गुरूद्धारा चक 54 एफ को दिया गया है जिसकी कमेंटी का गठन किया हुआ है जिसकी देखभाल कमेटी द्वारा की जाती है तथा कमेटी का संविधान बना हुआ है। इससे पहले खेड़ाराम श्री गुरूद्वारा की देखभाल करता था तथा उसके मरने के बाद अब रेस्पोडेण्टस देखभाल कर रहे है। अब रेस्पोडेण्टस द्वारा इस जमीन की आमदनी श्री गुरूद्वारा पर खर्च न करके निजी उपभोग करने लगे तो कमेटी द्वारा इनको मना किया गया। कमेटी द्वारा जांच करने पर पता चला कि रेस्पोडेण्टस के पिता ने गल्त तथ्य प्रस्तुत करके चोरी छुपे उक्त माफी रकबा जो श्री गुरूद्वारा साहब का था उसको अपने नाम से राजस्व रिकॉर्ड में इतंकाल करवा लिया जबकि ऐसा कोई नियम नहीं है कि श्री गुरूद्वारा का माफी रकबा रेस्पोडेण्ट अपने नाम करवा लेवें चूंकि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी ऐसे कई निर्णय पारित किये गये है कि श्री गुरूद्वारा या मंदिर, मस्जिद का माफी रकबा तरखान, कोटवाल या सेवादार किसी के नाम नहीं किया जावेगा बल्कि उसका मालिक श्री गुरूद्वारा, मस्जिद, मन्दिर हीं है। अन्य को कोई खातेदार अधिकार व उसके नाम इतंकाल नहीं किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय के श्री गुरूद्वारा की जमीन के संबंध में किसी अन्य के नाम से इतंकाल करने का कोई अधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर इतंकाल किया है। अतः अपील स्वीकार की जकार अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 27.11.1967 इतंकाल संख्या 56 निरस्त फरमाया जावे। वकील अपीलार्थी द्वारा न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2003 (2) पेश पेज नंबर 1234 सरकार बनाम जगन्नाथ चेला व अन्य निर्णय दिनांक 27.03.2003 पेश किया गया जिसके अनुसार," राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1956 धारा 46–क रेफरेन्स भूमि मन्दिर गोपाल जी के नाम दर्ज थी–सरपंच ने पुजारी 'बी.डी.' के पुत्र 'जे.डी.' के नाम खातेदारी स्वीकार की–मन्दिर की ओर से काश्त करने वाला व्यक्ति खातेदारी अधिकार का हकदार नहीं है–मूर्ति शाश्वत नाबालिग है–पुजारी उप काश्तकार था–निर्णीत, आदेश अवैध व शून्य है एवं अपास्त किया व भूमि मन्दिर श्री गोपाल जी के नाम दर्ज करने का आदेश दिया।"

रेस्पोडेण्ट के अधिवक्ता द्वारा बहस में कथन किया कि जिला कलक्टर के आदेश दिनांक 23–10–2007 की पालना में रेस्पो0 के पूर्वज खेड़ाराम को उसके कब्जा काश्त की कृषि भूमि के संबंध में खातेदारी प्राप्त हुई है। इंतकाल सं0 56 अन्य आदेश की पालना में दर्ज हुआ है जो अपने आप में स्वतन्त्र/मुल आदेश नहीं है। अपील केवल मूल आदेश के विरूद्व प्रस्तुत की जा सकती है। अपीलांट द्वारा तथ्य छुपाकर अपील पेश की गयी है। रेस्पोडेण्ट अधिवक्ता द्वारा जिला कलक्टर महोदय के आदेश दिनांक 23.10.2007 की प्रति पेश की गयी।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। न्यायिक दृष्टांतों का एवं अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का गहनता से अवलोकन किया गया।

राज्य सरकार ने जरिये अधिसूचना दिनांक 05.06.65 के द्वारा समस्त जिलों के जिला कलक्टरों द्वारा विलेज सरवेन्ट की सेवाएं समाप्त करते हुए उन्हें धारा 193 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत खातेदारी अधिकार दिये गये थे। इसी अनुसरण में रेस्पो0 के पूर्वज खेड़ाराम को भी उसके कब्जा काश्त की कृषि भूमि पर धारा 193 राज0 काश्तकारी अधि0 के तहत अधिकार प्राप्त हुए थे । जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 23–10–2007 की पालना में रेस्पो0 के पूर्वज खेड़ाराम को उसके कब्जा काश्त की कृषि भूमि के संबंध में खातेदारी प्राप्त हुई है। इस संबंध में इंतकाल सं0 439 दिनांक 14–11–2007 स्वीकृत हुआ है। रेस्पो0 के पूर्वज के नाम गैरखातेदारी कृषि भूमि का इंतकाल सं0 56 दिनांक 27–11–67 कलक्टर द्वारा धारा 193 राज0 काश्तकारी अधि0 के अन्तर्गत पारित आदेश की पालना में दर्ज किया गया है। इंतकाल सं0 56 अन्य आदेश की पालना में दर्ज हुआ है जो अपने आप में स्वतन्त्र/मूल आदेश नहीं है। राजस्व विभाग के नोटिफिकेशन दिनांक 10.05.1966 के अनुसार गंगकैनाल व भाखड़ प्रोजेक्ट में

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

नियुक्त माफीदारान जैसे कोटवाल, तरखान, नाई, पुजारी, ग्रन्थी और मौलवी की सेवाएं समाप्त कर दी व उनको खातेदारी अधिकार देने के आदेश दिये गये जिसकी पालना में प्रार्थी व पिता खातेदारान को चक 54 एफ मु. नं. 75 के मु. नं. के किला नंबर6 ता. 10 में 4 बीघा 18 बिस्वा प्राप्त हुआ। इसके बाद जिला कलक्टर के आदेश दिनांक 23.10.2007 की पालना में गैरखातेदारी के स्थान पर खातेदारी से हुई। पत्रावली पर जिला कलक्टर के आदेश दिनांक 23.10.2007 को चुनौती दिये जाने के साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। चूंकि प्रश्नगत आराजी खातेदारी हो चुकी है। अतः अपीलाधीन इतंकाल में कोई विधिक त्रुटि नहीं है। साथ ही मूल आदेश की अपील न किये जाने से इस अपील का कोई पोषणीय नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 27.11.1967 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति मय मूल अभिलेख अधीनस्थ न्यायालय को लौटाया जावे। पत्रावली निर्णित दर्शित की जाकर बाद तकमील जिला अभिलेखागार में जमा करायी जावे।

आदेश आज दिनांक 30/1/23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
अति0 जिला कलक्टर (सतर्कता)
श्री गंगानगर।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता)

Scanned with CamScanner